...लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

...रण संख्या : 1/2021
दायर दिनांक : 02.02.2021
निर्णय दिनांक : 20.06.2024

उनवान

1. माधू पिता रामचन्द्र जाट निवासी चौथपुरा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. गणेश पिता रामचन्द्र जाट निवासी चौथपुरा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात ग्राम चौथपुरा प.ह. अनोपपुरा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित है, जिसके खाता सं. 172 के हाल आ.सं. 424 रकबा 0.43 है. भूमि स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है। जिस पर आने जाने के लिये अप्रार्थी की आ.सं. 423 की दक्षिणी मेर पर होते हुऐ मुझ प्रार्थी की आराजी सं. 424 में पहुंचता है। प्रार्थी की वर्णित आराजियात में जाने के लिए इसी रास्ता से 100 वर्षों से आते जाते रहे हैं इसलिए उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे। प्रार्थी की आराजियात पर खाली भरी बैलगाडी, मवेशी, सज सामंद व ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने व कृषि उपज के बोने व अन्य कार्य तथा फसल उपज लाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थी की आराजी में जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त कदीमी रास्ता को अवरूद्ध कर लोह की फाटक बिठा कर ताला लगा दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी में खडी फसल की देखरेख करने मवेशी, संज, सामंद ट्रेक्टर इत्यादि लाने जे जाने में परेशानी हो रही है, इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्तो का 100 वर्षों से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिसमें हाल ही में अप्रार्थीगण ने उक्त कदीमी रास्ते को हांक कर तारबंदी लगाकर फाटक बिठाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिनको कोई अधिकार नहीं है। अविलम्ब मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगाकर अवरूद्ध किये रास्ते को खुलवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी अप्रार्थी को उक्त रास्ते के लिये डी.एल.सी. दर या श्रीमान् के आदेशानुसार रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि जमा कराने के लिये तैयार है। अतः निवेदन है कि विपक्षी की आराजी नंबर 423 की दक्षिणी मेर पर रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

1. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी राजपेरोकार द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।
2. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। राजपेरोकार भूपालसागर द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

की बहस में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पाया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

(1) क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी)

प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौथपुरा के आ.सं. 424 में आने जाने बाबत आ.सं. 423 में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(2) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं है। इस आशय का प्रमाण –पत्र प्रस्तुत करावें।

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौथपुरा के आ.सं. 424 में आने जाने बाबत आ.सं. 423 में होकर निकटतम मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व निकटतम मार्ग नहीं है।

(3) यदि पक्षकारान (अप्रार्थीगण) रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजीयात चाहते है तो उसका रकबा, नक्शा ट्रेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें।

रिपोर्ट तहसीलदार, मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस संलग्न है।

(4) यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें।

–रिपोर्ट तहसीलदार, भूपालसागर दि. 04.08.22, 24.11.2022 संलग्न है।

(5) सहमति नहीं होने की स्थिति मे लघुत्तम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई × चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करें। (मय पर्चा मौका)

तहसीलदार, भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आ.सं. 423 में से 5 मीटर चौडा लम्बाई 46 मीटर कुल 230 वर्गमीटर रास्ते हेतु प्रस्तावित की है। वर्तमान डी.एल.सी. दर 3,81,402 रूपये प्रति है0 से रकबा 230 वर्गमीटर की मालियत 8,773 रूपये बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 15746 रूपये होती है।

कलक्टर से प्राप्त उक्त रिपोर्ट्स अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जाने के लिये उक्त प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि चौथपुरा पटवार हल्का अनोपपुरा तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 424 है। प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 423 में से रास्ता चाहा हैं। रास्ता दिये जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चौथपुरा पटवार हल्का अनोपपुरा तहसील भूपालसागर के हल्के

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

बेरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी न0 424 में आने जाने हेतु अप्रार्थी की आ.सं. 423 में से 46गण्डत्र 230 वर्गमीटर है, जिसका जिसका राजस्व नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2022 संलग्न है, का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि डीएलसी दर 3,81,402 रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 230 वर्गमीटर की कुल मालियत 8,773 रूपये का दुगुना 15,746 रूपये अक्षरे पन्द्रह हजार सात सौ छियालिस रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर